न्यायालय– मोटरवाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, डीडवाना।
(न्यायालय– अपर जिला न्यायाधीश, डीडवाना।)

पीठासीन अधिकारी – **मनोरमा मीणा, आर.जे.एस.**
(जिला न्यायाधीश सवंर्ग)

एमएसीटी प्रकरण सं.– 41/2020
सी एन आर नम्बर RJDK010003722020

1– रामेश्वरी देवी पत्नी स्व. गेनपुरी गोस्वामी उर्फ जी.पी. गोस्वामी उर्फ गेनगिरी उम्र:–61 साल (मृतक की पत्नी)।

2– नरपत गोस्वामी पुत्र स्व. गेनपुरी गोस्वामी उर्फ जी. पी. गोस्वामी उर्फ गेनगिरी उम्र:–38 साल (मृतक का पुत्र) निवासीगणः – शिव नगरी, मामडौदा तहसील:– डीडवाना जिला:–नागौर (राज.)

–प्रार्थीगण–

बनाम

1– देवाराम पुत्र चिमनाराम उम्रः–54 साल निवासीः–चोमु पुलिस थाना डीडवाना जिला:–नागौर राज.।
(वक्त दुर्घटना दिनांक 25–01–2020 को वाहन बोलेरो नम्बर आर. जे. 37 यू.ए. 3914 का चालक)।

2– प्रहलादराम पुत्र श्री पुष्पाराम उम्र:–53 साल निवासी:– रोजा तहसील:–लाडनूं जिला:–नागौर राज.।
(वक्त दुर्घटना दिनांक 25–01–2020 को वाहन बोलेरो नम्बर आर.जे. 37 यू.ए. 3914 का रजिस्टर्ड स्वामी)।

3– दी न्यु इण्डिया एंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड. देलही गेट के बाहर, डीडवाना रोड नागौर (राज.)।
(वक्त दुर्घटना दिनांक 25–01–2020 को वाहन बोलेरो नम्बर आर.जे. 37 यू.ए. 3914 की बीमा कम्पनी, उक्त वाहन दिनाँक 20–12–2019 से दिनाँक 19–12–2020 तक की समयावधि में उत्पन्न दायित्वों के निर्वहन के लिए बीमित था)।

–अप्रार्थीगण–

याचिका अन्तर्गत धारा 166 एवं सपठित धारा 140 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 सपठित संशोधित अधिनियम 1994

उपस्थिति:–
1. श्री सुरेन्द्र पुरी, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से।
3. श्री भवानी सिंह , विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से ।

अधिनिर्णय

दिनांक:– 23.07.2026

1. हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण रामेश्वरी देवी वगैरह की ओर से मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 व 1994 की धारा 140 के अंतर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह याचिका बाबत दिलवाये जाने क्षतिपूर्ति राशि क्रमशः 48,86,952/–रुपये एवं ब्याज व खर्चा हेतु अधिकरण के समक्ष पेश की गई।

2. याचिका के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 25.01.2020 को गेनपुरी गोस्वामी उर्फ जी.पी.गोस्वामी उर्फ गेनगिरी पुत्र स्वर्गीय मोहनगिरी स्वामी निवासी शिवनगरी मामड़ौदा तहसील, डीडवाना वाला सायं चार बजे के आस–पास डीडवानासे वाया पालोट रोड होते हुए जीप चलाते हुएगांव जा रहे थे । जब वह गरदेज्या बास से लगभग एक किलोमीटर आगे निकले तो पालोट की तरफ से एक बोलेरो नम्बर आर जे 37 यू ए 3914 का चालक देवाराम पुत्र चिमनाराम अपने वाहन बोलेरो को तेज गति व लापरवाही से चलाता हुआ लाया व सही दिशा में चल रही जीप के गलत दिशा में आकर टक्कर मारी, जिससे गेनपुरी गोस्वामी उर्फ जी.पी. गोस्वामी उर्फ गेनगिरी के सिर व शरीर पर जगह–जगह गम्भीर प्रकृति की चोटें आई । उक्तम चोटों के कारण गेनगिरी गोस्वामी की अकाल मृत्यु हो गई । उक्त दुर्घटना अप्रार्थी संख्या 01 देवाराम की गलती से हुई है ।

3. उक्त दुर्घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 16/2020 पुलिस थाना डीडवाना में धारा 279, 304 ए भा.दं.सं. में पंजीबद्ध होकर बाद अनुसंधान वाहन चालक अप्रार्थी सं० 1 के विरूद्ध धारा 279, 304 ए भा.दं.सं. में आरोप पत्र पेश किया गया। प्रार्थीगण रामेश्वरी देवी वगैरह द्वारा यह अभिवचन किया गया था कि मृतक वक्त दुर्घटना मृतक भारतीय सेना से सूबेदार मेजर के पद से सेवानिवृत्त थे एवं उनको पेंशन के रूप में 33084 रुपए प्रतिमाह प्राप्त होते थे । वक्त दुर्घटना उसकी आयु लगभग 65 वर्ष थी। प्रार्थीगण मृतक पर आश्रित थे । अंत में प्रार्थीगण ने आय की क्षति के कुल 48,86,952/–रुपये एवं ब्याज व खर्चा दिलाये जाने का निवेदन किया।

4. अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने जवाब याचिका पेश करते हुए याचिका में वर्णित सारवान् अभिकथनों को अस्वीकार किया एवं यह अभिवचन किया कि प्रश्नगत दुर्घटना में अप्रार्थी संख्या 1 की कोई लापरवाही व उपेक्षा नहीं रही है । वाहन बोलेरो नम्बर आर जे 37 यू ए 3914 से कोई दुर्घटना नहीं हुई है । प्रार्थीगण ने आय, ईलाज, भोजन, कपड़ा आदि का खर्चा बढ़ा–चढ़ाकर गलत अंकित किया है । दुर्घटना में अप्रार्थी संख्या 1 की कोई गलत नहीं है, किन्तु फिर भी यदि न्यायालय अप्रार्थी संख्या 1 की गलत होना मानता है तो वाहन बोलेरा वक्त दुर्घटना समस्त जोखिमों के लिए अप्रार्थी संख्या 3 के यहाँ पर बीमित था । अब क्लेम के लिए अप्रार्थी संख्या 3 ही जिम्मेदार है । अंत में क्लेम याचिका खारिज किए जाने का निवेदन किया है ।

5. अप्रार्थी सं. 3 बीमा कम्पनी ने प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों से इंकार करते हुए कथन किया कि कथित दुर्घटना दिनांक 25.01.2020 को बीमित बोलेरो संख्या RJ–37–UA–3914 से कारित नहीं हुई तथा उक्त वाहन को बाद में गलत रूप से दुर्घटना में संलिप्त दर्शाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का नम्बर अंकित नहीं था। बीमा कम्पनी के अनुसार पुलिस द्वारा निष्पक्ष अनुसंधान नहीं कर बीमित वाहन के विरुद्ध गलत चालान प्रस्तुत किया गया है। बीमा कम्पनी ने पुलिस द्वारा तैयार नक्शा मौका, हालात मौका एवं वाहनों की मैकेनिकल निरीक्षण रिपोर्ट का आधार लेते हुए कथन किया है कि दुर्घटनाग्रस्त जीप संख्या RJ–21–UA–6637 के ड्राइवर साइड का टायर फटा हुआ, मडगार्ड व पायदान मुड़े हुए, इंडिकेटर व आगे का शीशा टूटे हुए तथा पर्दा फटा हुआ पाया गया। इससे स्पष्ट है कि उक्त जीप का टायर फटने एवं उसके ड्राइवर साइड की ओर पलटने से दुर्घटना हुई, जिसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हुई। इसके विपरीत

बोलेरो संख्या RJ–37–UA–3914 के मैकेनिकल निरीक्षण से उसकी दुर्घटना में संलिप्तता प्रमाणित नहीं होती। कम्पनी ने बोलेरो वाहन को बाद में मिलीभगत से दुर्घटना में सम्मिलित किए जाने का आरोप भी लगाया है। बीमा कम्पनी ने मृतक की आयु 65 वर्ष एवं मासिक आय 33,084/– रुपये होने संबंधी कथनों को प्रमाण के अभाव में अस्वीकार कर उनका ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार प्रार्थीगण पर बताया है। साथ ही वाहन के रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, पॉल्यूशन आदि दस्तावेजों तथा पॉलिसी की शर्तों के अनुपालन को भी प्रमाणित किया जाना आवश्यक बताया है। संबंधित बीमा पॉलिसी की अवधि 20.12.2019 से 19.12.2020 तक होना स्वीकार किया गया है। बीमा कम्पनी ने संबंधित फौजदारी प्रकरण के दिनांक 05.01.2022 के निर्णय एवं उसमें हुए बयानों का भी आधार लिया है। उसके अनुसार परिवादी श्रवणपुरी ने दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का नम्बर, चालक तथा दुर्घटना किसकी गलती से हुई, इस संबंध में निश्चित कथन नहीं किया। इसी प्रकार मृतक की पुत्री सुमन गोरवामी ने भी वाहन नम्बर एवं चालक के संबंध में निश्चित जानकारी नहीं दी। अतः बीमा कम्पनी का मुख्य प्रतिरक्षा कथन यह है कि बोलेरो संख्या RJ–37–UA–3914 की दुर्घटना में संलिप्तता एवं उसके चालक की लापरवाही प्रमाणित नहीं है, इसलिए बीमा कम्पनी के विरुद्ध दावा आवेदन खारिज किया जाए।

6. अंत में क्लेम याचिका खारिज किये जाने का निवेदन किया।

7. उभय पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाद्यक विरचित किये गयेः

1) आया दिनांक 25.01.2020 को समय 04.00 पी एम या उसके लगभग मौजा सरहद गरदेज्या से पालोट रोड पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम पंजीकृत व अप्रार्थी संख्या 03 के यहाँ बीमित वाहन आर जे 37 यू ए 3914 को तेज गति, गफलत एवं लापरवाही से चलाकर गेनपुरी गोस्वामी के टक्कर मारी, जिससे गेनपुरी गोस्वामी की मृत्यु कारित हुई ?

प्रार्थीगण

2) आया विपक्षीगण द्वारा जवाब में उठाई गई आपत्तियों के आधार पर उनका कोई दायित्व नहीं है?

अप्रार्थीगण

3) आया प्रार्थीगण रामेश्वरी देवी वगैरह 48,86,952/–रुपये या अन्य कोई राशि प्रतिकर में विपक्षीगण से प्राप्त करने के अधिकारी है? यदि हां, तो कितनी व किस किस से व किस कदर?

प्रार्थीगण

4) अनुतोष ?

8. **प्रार्थीगण रामेश्वरी देवी वगैरह** की ओर से याचिका के समर्थन में ए ड 1 रामेश्वरी देवी, ए ड 2 नरपत गोस्वामी, ए डब्ल्यू 03 सुमन गोस्वामी, ए डब्ल्यू 04 श्रवणपुरी को परीक्षित करवाया व दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थीगण की ओर से अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजी

साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 तहरीरी रिपोर्ट, प्रदर्श 2 मृत्यु प्रमाण–पत्र, प्रदर्श 3 आरोप–पत्र, प्रदर्श 4 नक्शा मौका, प्रदर्श 5 फर्द सूरत हाल, प्रदर्श 6 फर्द पंचायतनामा, प्रदर्श 7 फर्द सुपुर्दगी लाश, प्रदर्श 8 मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रदर्श 9 धारा 133 एम वी एक्ट का नोटिस, प्रदर्श 10 धारा 134 एम वी एक्ट का नोटिस, प्रदर्श 11 फर्द निरीक्षण सुपुर्दगी दुर्घटनाग्रस्त जीप आर जे 21 यू ए 6637, प्रदर्श 12 फर्द जब्ती दुर्घटना कारित वाहन, प्रदर्श 13 मैकेनिकल मुआयना वाहन आर जे 37 यू ए 3914, प्रदर्श 14 देवाराम का डी एल, प्रदर्श 15 आर सी बोलेरो नम्बर आर जे 37 यू ए 3914, प्रदर्श 16 बीमा कवर नोट, प्रदर्श 17 पेंशन स्लिप, प्रदर्श 18 से 24 बैंक स्टेटमेंट को प्रदर्शित करवाया ।

9. अप्रार्थीगण की ओर से एन ए डब्ल्यू 01 ज्योति शर्मा को परीक्षित करवाया गया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में गवाहान सुमन गोस्वामी, श्रवणपुरी, गणपतराम, प्रहलादराम कसे न्यायालय में हुए बयानों की प्रति प्रदर्श एन ए 1 से एन ए 4 एवं न्यायालय का आदेश दिनांक 05.1.2022 प्रदर्श एनए 5, साक्ष्य हेतु अधिकार पत्र प्रदर्श एन ए 6 को प्रदर्शित करवाया गया ।

10. उभय पक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । विवाद्यकवार न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है–

विवाद्यक सं. 1 एवं 2

11. विवाद्यक संख्या 1 एवं 2 दोनों एक दूसरे से संबंधित होने, साक्ष्य एवं तथ्यों की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए इन दोनों विवाद्यकों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है ।

12. विवाद्यक संख्या 1 में प्रार्थीगण को यह साबित करना है कि **आया दिनांक 25.01.2020 को समय 04.00 पी एम या उसके लगभग मौजा सरहद गरदेज्या से पालोट रोड पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम पंजीकृत व अप्रार्थी संख्या 03 के यहाँ बीमित वाहन आर जे 37 यू ए 3914 को तेज गति, गफलत एवं लापरवाही से चलाकर गेनपुरी गोस्वामी के टक्कर मारी, जिससे गेनपुरी गोस्वामी की मृत्यु कारित हुई ?**

13. विवाद्यक संख्या 2 में अप्रार्थीगण को यह साबित करना है कि **"आया विपक्षीगण द्वारा जवाब में उठाई गई आपत्तियों के आधार पर उनका कोई दायित्व नहीं है?"**

14. इस बाबत् उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से प्रार्थीगण का मामला साबित है। अंत में प्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने का निवेदन किया।

15. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने निवेदन किया कि प्रश्नगत दुर्घटना वाहन बोलेरो नम्बर RJ–37–UA–3914 से कारित होना तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त वाहन को तेज गति, गफलत एवं लापरवाही से चलाना प्रमाणित नहीं है। प्रार्थीगण के गवाह दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं तथा प्रारम्भिक रिपोर्ट में भी बोलेरो वाहन का नम्बर अंकित नहीं है। अतः विवाद्यक संख्या 1 प्रार्थीगण के विरुद्ध तय किया जाए। वैकल्पिक रूप से वाहन दुर्घटना के समय अप्रार्थी संख्या 3 के यहां बीमित होने से प्रतिकर का दायित्व बीमा कम्पनी का होना बताया।

16. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 बीमा कम्पनी ने तर्क दिया कि प्रार्थीगण की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से बोलेरो नम्बर **RJ–37–UA–3914** की दुर्घटना में संलिप्तता प्रमाणित नहीं होती। दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य का अभाव है तथा फौजदारी प्रकरण में हुए गवाहों के पूर्व बयानों में भी बोलेरो के नम्बर एवं चालक के संबंध में स्पष्ट कथन नहीं है। दुर्घटनाग्रस्त जीप **RJ–21–UA–6637** की निरीक्षण रिपोर्ट में उसका ड्राइवर साइड का टायर फटा हुआ एवं वाहन क्षतिग्रस्त पाया गया, जिससे दुर्घटना जीप का टायर फटने एवं उसके अनियंत्रित होने से घटित होना प्रकट होता है। अतः बीमित बोलेरो की संलिप्तता एवं उसके चालक की लापरवाही प्रमाणित नहीं होने से बीमा कम्पनी का कोई दायित्व नहीं बनता और दावा याचिका खारिज किए जाने का निवेदन किया।

17. सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में दुर्घटना एवं चालक की लापरवाही का निर्धारण आपराधिक वादों की भाँति **"संदेह से परे प्रमाण (proof beyond reasonable doubt)"** के आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि **"संभावनाओं की प्रबलता (preponderance of probabilities)"** के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एक दीवानी प्रकृति का न्यायाधिकरण है, जिसका उद्देश्य पीड़ित अथवा उसके आश्रितों को न्यायोचित प्रतिकर प्रदान करना है। अतः अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का समग्र एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित है। यदि उपलब्ध साक्ष्यों के समग्र मूल्यांकन से दुर्घटना एवं वाहन चालक की लापरवाही की संभावना अधिक प्रबल प्रतीत होती है, तो दावा केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि आपराधिक वादों के समान प्रत्येक तथ्य संदेह से परे सिद्ध नहीं हुआ है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत Manju Singh v. Avinash Singh (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः यह प्रतिपादित किया है कि मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में प्रमाण का मानदंड preponderance of probabilities है, न कि proof beyond reasonable doubt। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अधिकरण को उपलब्ध साक्ष्यों का यथार्थवादी एवं व्यावहारिक मूल्यांकन करते हुए मोटरयान अधिनियम के कल्याणकारी उद्देश्य को दृष्टिगत रखना चाहिए।

18. उक्त विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर आई साक्ष्य का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि प्रार्थीगण की ओर से परीक्षित साक्षी प्रार्थीया ए.डब्ल्यू.–1 रामेश्वरी देवी ने अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसके पति गेनपुरी गोस्वामी की दिनांक 25.01.2020 को बोलेरो वाहन से हुई दुर्घटना में मृत्यु हुई। उसने यह भी बताया कि उसके पति जीप में डीडवाना से गांव जा रहे थे तथा बोलेरो वाहन को अप्रार्थी देवाराम चला रहा था। यद्यपि गवाह ने **जिरह** में उसने स्वीकार किया कि उसने दुर्घटना स्वयं नहीं देखी तथा घटना के संबंध में उसे उसकी पुत्री से जानकारी प्राप्त हुई थी, तथापि दुर्घटना में उसके पति की मृत्यु होने तथा उससे संबंधित दस्तावेजों के संबंध में उसकी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध अन्य साक्ष्य से समर्थित है। अतः मात्र उसके प्रत्यक्षदर्शी नहीं होने के आधार पर प्रार्थीगण के सम्पूर्ण मामले को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

19. इसी प्रकार ए.डब्ल्यू.–2 नरपत गोस्वामी ने भी अपने पिता गेनपुरी गोस्वामी की मृत्यु उक्त सड़क दुर्घटना में होना बताया है। जिरह में उसने स्वयं दुर्घटना नहीं देखना तथा घटना

की जानकारी अपनी बहन से प्राप्त होना स्वीकार किया है। इस प्रकार ए.डब्ल्यू.–1 एवं ए.डब्ल्यू.–2 दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं, किन्तु उनकी साक्ष्य दुर्घटना एवं उसके परिणामस्वरूप गेनपुरी की मृत्यु होने के तथ्य की पुष्टि करती है।

20. प्रार्थीगण की ओर से परीक्षित ए.डब्ल्यू.–3 सुमन गोस्वामी ने भी अपने पिता की दुर्घटना दिनांक 25.01.2020 को होना तथा दुर्घटना बोलेरो वाहन की टक्कर से होना बताया है। उसकी साक्ष्य से यह भी सामने आता है कि मृतक दुर्घटना के समय जीप संख्या **RJ–21–UA–6637** में जा रहा था। यद्यपि उसने स्वयं दुर्घटना नहीं देखी और उसे घटना की जानकारी अन्य से प्राप्त हुई, फिर भी उसकी साक्ष्य को अन्य उपलब्ध साक्ष्य के साथ पढ़ा जाना आवश्यक है।

21. इस संबंध में महत्वपूर्ण साक्ष्य ए.डब्ल्यू.–4 **श्रवणपुरी** की है, जिसने दुर्घटना के समय जीप में उपस्थित होना तथा दुर्घटना को स्वयं अपनी आंखों से देखना बताया है। उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि दुर्घटना बोलेरो वाहन से हुई थी। इस प्रकार ए.डब्ल्यू.–4 दुर्घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है। उक्त गवाह से अप्रार्थीगण की ओर से विस्तृत जिरह की गई है, किन्तु उसकी साक्ष्य में ऐसा कोई सारवान विरोधाभास सामने नहीं आया है, जिससे दुर्घटना में बोलेरो की संलिप्तता संबंधी उसके मूल कथन को पूर्णतः अविश्वसनीय माना जा सके।

22. प्रार्थीगण की मौखिक साक्ष्य को दस्तावेजी साक्ष्य से भी पर्याप्त समर्थन प्राप्त होता है। प्रदर्श 1 तहरीरी रिपोर्ट, प्रदर्श 3 आरोप–पत्र, प्रदर्श 4 नक्शा मौका, प्रदर्श 5 फर्द सूरत हाल, प्रदर्श 6 फर्द पंचायतनामा, प्रदर्श 8 पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रदर्श 9 एवं प्रदर्श 10 मोटर वाहन अधिनियम के नोटिस, प्रदर्श 12 दुर्घटना कारित वाहन की जब्ती फर्द तथा प्रदर्श 13 बोलेरो संख्या RJ–37–UA–3914 की मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट को समग्र रूप से देखने पर दुर्घटना के पश्चात पुलिस द्वारा विधिवत अनुसंधान किया जाना तथा अनुसंधान के उपरांत बोलेरो चालक अप्रार्थी संख्या 1 देवाराम के विरुद्ध धारा 279 एवं 304ए भा.दं.सं. में आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जाना प्रमाणित है। आरोप–पत्र अपने आप में लापरवाही का अंतिम एवं निर्णायक प्रमाण नहीं है, किन्तु दावा प्रकरण में उपलब्ध अन्य साक्ष्य के साथ यह एक महत्वपूर्ण पुष्टिकारक परिस्थिति अवश्य है।

23. जहाँ तक अप्रार्थी संख्या 3 बीमा कम्पनी द्वारा ली गई इस प्रतिरक्षा का प्रश्न है कि दुर्घटना बोलेरो से नहीं हुई, बल्कि मृतक द्वारा चलाई जा रही जीप संख्या **RJ–21–UA–6637** का ड्राइवर साइड का टायर फटने के कारण जीप अनियंत्रित होकर पलटी थी। प्रदर्श 11 में जीप के ड्राइवर साइड का टायर फटा हुआ तथा वाहन के अन्य भागों में क्षति अंकित होना अवश्य सामने आया है, किन्तु मात्र दुर्घटना के पश्चात जीप का टायर फटा पाया जाना अपने आप में यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि **टायर फटना दुर्घटना का कारण था**। टायर दुर्घटना से पूर्व फटा अथवा बोलेरो से टक्कर एवं उसके परिणामस्वरूप जीप के क्षतिग्रस्त होने की प्रक्रिया में फटा, इस संबंध में अप्रार्थीगण की ओर से कोई तकनीकी अथवा विशेषज्ञ साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः केवल निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना सुरक्षित नहीं है कि दुर्घटना बोलेरो की टक्कर से नहीं, बल्कि जीप का टायर स्वतः फटने से हुई।

24. इसके विपरीत बोलेरो संख्या **RJ–37–UA–3914** की मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट

प्रदर्श 13 में वाहन पर रगड़ आदि के निशान पाए जाने की सामग्री भी अभिलेख पर है। ऐसी स्थिति में बीमा कम्पनी का यह तर्क कि बोलेरो को बाद में केवल क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रकरण में सम्मिलित किया गया, केवल प्रतिरक्षा कथन मात्र रह जाता है। इस कथन को सिद्ध करने के लिए ऐसा कोई स्वतंत्र एवं ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे पुलिस अनुसंधान एवं प्रार्थीगण की साक्ष्य को अविश्वसनीय माना जा सके।

25. बीमा कम्पनी ने संबंधित फौजदारी प्रकरण में हुए गवाहों के बयानों **प्रदर्श एनए–1 से एनए–4** तथा आदेश दिनांक 05.01.2022 **प्रदर्श एनए–5** पर भी प्रदर्शित कराए गए हैं। किन्तु फौजदारी प्रकरण एवं मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण में प्रमाण का स्तर भिन्न होता है। फौजदारी प्रकरण में अभियोजन को आरोप संदेह से परे प्रमाणित करना होता है, जबकि दावा अधिकरण में तथ्य संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। इसलिए फौजदारी कार्यवाही का परिणाम मात्र इस आधार पर वर्तमान दावा कार्यवाही में निर्णायक नहीं हो सकता। उच्चतम न्यायालय ने भी स्पष्ट किया है कि आपराधिक कार्यवाही में दोषमुक्ति होने मात्र से मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण में उपेक्षा का निष्कर्ष स्वतः समाप्त नहीं होता।

26. बीमा कम्पनी की ओर से परीक्षित एन.ए.डब्ल्यू.–1 ज्योति शर्मा ने स्वीकार किया है कि पुलिस द्वारा बोलेरो संख्या **RJ–37–UA–3914** के चालक के विरुद्ध आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया था। उसके द्वारा कम्पनी की जांच के आधार पर बोलेरो की संलिप्तता नहीं होना बताया गया है, किन्तु उक्त गवाह स्वयं दुर्घटना की प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। विशेष रूप से, जब पुलिस अनुसंधान के पश्चात बोलेरो चालक के विरुद्ध आरोप–पत्र प्रस्तुत हुआ है और ए.डब्ल्यू.–4 श्रवणपुरी की प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य भी बोलेरो की संलिप्तता की पुष्टि करती है, तब केवल बीमा कम्पनी की आंतरिक जांच संबंधी कथन को उनसे अधिक विश्वसनीय मानने का पर्याप्त आधार नहीं है।

27. यह भी उल्लेखनीय है कि दुर्घटना के संबंध में प्रारम्भिक सूचना में वाहन का नम्बर अंकित नहीं होना अपने आप में प्रार्थीगण के मामले को असत्य सिद्ध नहीं करता। दुर्घटना के तत्काल बाद प्राथमिक उद्देश्य घायल को सहायता पहुंचाना एवं घटना की सूचना देना होता है और ऐसी रिपोर्ट से प्रत्येक सूक्ष्म तथ्य अथवा वाहन नम्बर का उल्लेख अपेक्षित नहीं किया जा सकता। बाद के पुलिस अनुसंधान में वाहन की पहचान होने और उसके चालक के विरुद्ध आरोप–पत्र प्रस्तुत होने की परिस्थिति को अन्य साक्ष्य के साथ समग्र रूप से देखा जाना आवश्यक है। मोटर दुर्घटना दावा मामलों में कुछ विसंगतियों के बावजूद अधिकरण को यह देखना होता है कि समग्र सामग्री पर दावेदारों का घटनाक्रम अधिक संभाव्य है अथवा नहीं।

28. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का समग्र मूल्यांकन करने पर प्रार्थीगण का यह कथन संभावनाओं की प्रबलता पर अधिक विश्वसनीय एवं स्वीकार्य प्रतीत होता है कि दिनांक 25.01.2020 को लगभग 04.00 बजे मौजा सरहद गरदेज्या से पालोट रोड पर अप्रार्थी संख्या 1 देवाराम द्वारा बोलेरो संख्या RJ–37–UA–3914 को तेज गति, गफलत एवं लापरवाही से चलाते हुए मृतक गेनपुरी गोस्वामी की जीप को टक्कर मारी गई, जिसके परिणामस्वरूप गेनपुरी गोस्वामी को गंभीर चोटें आईं और उनकी मृत्यु हुई। अप्रार्थीगण द्वारा जीप का टायर फटने से दुर्घटना होने अथवा बोलेरो को बाद में झूठा सम्मिलित किए जाने की प्रतिरक्षा को विश्वसनीय एवं पर्याप्त साक्ष्य से प्रमाणित नहीं किया

गया है।

29. फलस्वरूप विवाद्यक संख्या 1 प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरुद्ध तथा विवाद्यक संख्या 2 अप्रार्थीगण के विरुद्ध और प्रार्थीगण के पक्ष में तय किया जाता है।

विवाद्यक संख्या–3

30. उपरोक्त दोनों विवाद्यकों के विवेचन से यह न्यायालय प्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि दिलाया जाना मुनासिब समझता है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण रामेश्वरी देवी वगैरह ने अपनी क्लेम याचिका में 48,86,952/–रुपये, प्रतिकर की मांग की है। इसके बाबत् प्रस्तुत प्रकरण में दायित्व का प्रश्न है, इस बाबत् स्थिति को देखें तो प्रश्नगत वाहन घटना के दिन अप्रार्थी सं. 3 के यहां बीमित था। ऐसे में अप्रार्थी सं. 3 दायित्वाधीन है।

31. उपरोक्त विवेचनानुसार विवाद्यक संख्या 03 प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरुद्ध निम्नानुसार तय करते हुए हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण रामेश्वरी देवी वगैरह के संबंध में क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जा रहा है।

32. सर्वप्रथम मृतक की आयु के संबंध में विचार किया जाता है। प्रार्थीगण द्वारा मृतक की आयु के संबंध में कोई स्वतंत्र दस्तावेज, जैसे जन्म प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक प्रमाण–पत्र अथवा आधार कार्ड आदि अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। तथापि पत्रावली पर उपलब्ध **फर्द सूरतहाल लाश प्रदर्श–05 एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श–08** में मृतक **गेनपुरी गोस्वामी उर्फ जी.पी. गोस्वामी उर्फ गेनगिरी** की आयु **65 वर्ष** अंकित की गई है। उक्त दोनों दस्तावेज घटना के तत्काल उपरांत तैयार किए गए हैं तथा इनमें अंकित आयु का किसी पक्ष द्वारा कोई ठोस प्रतिवाद भी नहीं किया गया है। अतः उपलब्ध चिकित्सीय एवं पुलिस अभिलेखों के आधार पर अधिकरण मृतक गेनपुरी गोस्वामी की दुर्घटना के समय **आयु 65 वर्ष** होना स्वीकार करता है।

33. जहां तक मृतक की आय का प्रश्न है, प्रार्थीगण का कथन है कि मृतक **भारतीय सेना में सूबेदार मेजर के पद से सेवानिवृत्त था तथा सेवानिवृत्ति उपरांत उसे पेंशन प्राप्त हो रही थी।** प्रार्थीगण की ओर से मृतक की आय के समर्थन में **पेंशन स्लिप प्रदर्श–17 एवं बैंक स्टेटमेंट प्रदर्श 18** प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार मृतक को **33,084/– रुपये प्रतिमाह पेंशन** प्राप्त होती थी। उक्त दस्तावेज मृतक की नियमित पेंशन आय का दस्तावेजी प्रमाण है तथा इसके विपरीत ऐसी कोई विश्वसनीय साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जिससे उक्त पेंशन राशि को अस्वीकार किया जा सके। अतः पेंशन स्लिप प्रदर्श–17 एवं बैंक स्टेटमेंट प्रदर्श 18 के आधार पर दुर्घटना के समय मृतक की मासिक आय **33,084/– रुपये** तथा वार्षिक आय **3,97,008/– रुपये** (33,084 × 12) निर्धारित किया जाना न्यायोचित है। आगे प्रतिकर की गणना इसी आय के आधार पर की जाएगी।

34. उपरोक्त साक्ष्य के विवेचन के आधार पर प्रार्थी, अप्रार्थीगण के विरुद्ध निम्न प्रकार से प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी होना पाये जाते है।–

(A) धन संबंधी/आर्थिक हानि (For Pecuniary Damage)

i. आय का निर्धारण – (Income) :–

35. उपरोक्त विवेचनानुसार **पेंशन स्लिप प्रदर्श–17 एवं बैंक स्टेटमेंट प्रदर्श 18** के अनुसार मृतक **गेनपुरी गोस्वामी उर्फ जी.पी. गोस्वामी उर्फ गेनगिरी** को सेवानिवृत्ति उपरांत **33,084/– रुपये प्रतिमाह पेंशन** प्राप्त होना प्रमाणित है। अतः मृतक की मासिक आय **33,084/– रुपये** तथा वार्षिक आय **3,97,008/– रुपये** (33,084 × 12) निर्धारित की जाती है। आगे प्रतिकर की गणना इसी आय के आधार पर की जाएगी।

(ii) भावी वृति (Future Income) रुपये

36. न्यायिक दृष्टांत **2017 (2) ACTC (SC) 1201, National Ins. Co. Ltd. Vs. Pranay Sethi** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि– 'स्वनियोजित व्यक्ति के मामले में भावी प्रत्याशा परिकलन की आवश्यक विधि के रूप में जहां मृतक स्वनियोजित था या नियत वेतन पर कार्यरत था वहां यदि उसकी आयु 40 वर्ष से कम होने की दशा में साबित आय का 40 प्रतिशत जोडा जाना वांछित है जहा मृतक 40 से 50 वर्ष की आयु के बीच है, वहां 25 प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिये तथा जहां मृतक 50 से 60 वर्ष की आयु का बीच का हो वहां 10 प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिये साबित आय का आशय है, टेक्स की राशि कम किये जाने के बाद शेष आय।"

37. उक्त न्यायिक दृष्टांत National Insurance Co. Ltd. v. Pranay Sethi में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भावी प्रत्याशा के संबंध में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार 60 वर्ष से अधिक आयु के मृतक की आय में भावी प्रत्याशा के मद में वृद्धि का प्रावधान नहीं किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में मृतक गेनपुरी गोस्वामी भारतीय सेना से सेवानिवृत्त पेंशनर था तथा दुर्घटना के समय उसकी आयु **65 वर्ष** होना अवधारित किया गया है। बैंक स्टेटमेंट प्रदर्श–18 के अनुसार उसकी मासिक पेंशन **33,084/– रुपये** होना प्रमाणित है। मृतक की आयु 60 वर्ष से अधिक होने तथा वह पूर्व से सेवानिवृत्त पेंशनर होने के कारण उसकी उक्त आय में **भावी प्रत्याशा के मद में कोई अतिरिक्त वृद्धि देय नहीं है।** फलतः प्रतिकर की आगामी गणना हेतु मृतक की मासिक आय **33,084/– रुपये** एवं वार्षिक आय **3,97,008/– रुपये** स्वीकार की जाती है।

(iii) आश्रियता की हानि (Dependancy) :–

38. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी संख्या 1 रामेश्वरी देवी मृतक गेनपुरी गोस्वामी उर्फ जी.पी. गोस्वामी उर्फ गेनगिरी की पत्नी तथा प्रार्थी संख्या 2 नरपत गोस्वामी मृतक का पुत्र है। प्रार्थीगण द्वारा यह अभिकथन किया गया है कि वे मृतक पर आश्रित थे। प्रकरण की समग्र परिस्थितियों एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिकर की गणना के प्रयोजनार्थ दोनों प्रार्थीगण को मृतक पर आश्रित माना जाना न्यायोचित है।

39. इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सरला वर्मा विनिर्णय (2009) 6 सुप्रीम कोर्ट केसेज 121** में यह अभिनिर्धारित किया है कि–

> 14. Though in some cases the deduction to be made towards personal and living expenses is calculated on the basis of units

indicated in Trilok Chandra, the general practice is to apply standardized deductions. Having considered several subsequent decisions of this court, we are of the view that where the deceased was married, the deduction towards personal and living expenses of the deceased, should be one-third (1/3rd) where the number of dependent family members is 2 to 3, one-fourth (1/4th) where the number of dependant family members is 4 to 6, and one-fifth (1/5th) where the number of dependant family members exceed six.

40. पूर्व विवेचनानुसार मृतक **गेनपुरी गोस्वामी उर्फ जी.पी. गोस्वामी उर्फ गेनगिरी** की कुल मासिक आय **33,084/- रुपये** निर्धारित की गई है। मृतक के आश्रितों की संख्या दो होने के कारण उक्त राशि में से मृतक के स्वयं के व्यक्तिगत एवं जीवन-निर्वाह व्यय हेतु **1/3 भाग अर्थात् 11,028/- रुपये** की कटौती किए जाने पर शेष **22,056/- रुपये प्रतिमाह** परिवार के प्रति मृतक का अंशदान निर्धारित होता है। इस प्रकार मृतक की मृत्यु के कारण प्रार्थीगण को हुई वार्षिक आश्रितता की हानि **22,056 × 12 = 2,64,672/- रुपये** निर्धारित होती है। उक्त निर्धारण माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Sarla Verma & Ors. v. Delhi Transport Corporation & Anr., (2009) 6 SCC 121** में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुरूप किया गया है।

(iv) गुणक का निर्धारण (Multiplier) रुपये

41. पूर्व विवेचनानुसार मृतक **गेनपुरी गोस्वामी उर्फ जी.पी. गोस्वामी उर्फ गेनगिरी** की दुर्घटना के समय आयु **65 वर्ष** होना अवधारित किया गया है। अतः मृतक **61 से 65 वर्ष के आयु वर्ग** में आता है।

42. मोटर वाहन अधिनियम तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ***Sarla Verma & Ors. v. Delhi Transport Corporation & Anr., (2009) 6 SCC 121*** में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार मृतक की आयु *61* से *65* वर्ष के मध्य होने पर *7* का गुणक लागू होता है।

43. अतः पूर्व निर्धारित मासिक आश्रितता ***22,056/-*** रुपये के आधार पर आश्रितता की कुल हानि निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है— ***22,056 × 12 × 7 = 18,52,704/-*** रुपये।

(B) गैर धन सम्बन्धी / गैर आर्थिक हानियां (Non Pecuniary Damages) रुपये

(i) प्यार, स्नेह, वंचना सहचर्य सुख से वंचित होने पर हानि (Loss of consortium) रुपये

44. जहां तक मृतक की मृत्यु के परिणास्वरूप प्यार, वंचना, स्नेह के मद में क्षतिपूर्ति दिलाये जाने का प्रश्न है इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत **Civil Appeal No(s).9233/2022 [Special Leave Petition (Civil) No.10860/2021] Harpreet Kaur & Ors. vs Mohinder Yadav & Ors तथा Magma General Insurance Co. Ltd. vs Nanu Ram and others, 2018 ACJ 2782** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धातों की रोशनी में तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर द्वारा **एस.बी. सिविल मिसलेनियस अपील नम्बर 730/2000 श्रीमती खुमानी बाई एवं अन्य बनाम मोहनलाल वगै.** में प्रतिपादित सिद्धान्त की रोशनी में मृतक गेनपुरी का प्रार्थीगण का पति एवं पिता होने के कारण

कंसोर्टियम के रूप में प्रत्येक प्रार्थी को 44,000 रुपये दिलाया जाना न्यायोचित है। यह निर्धारण न्यायिक दृष्टांत **2017 (2) ACTC (SC) 1201, National Ins. Co. Ltd. Vs. Pranay Sethi** में पारित दिशानिर्देशों के अनुरूप दस प्रतिशत बढ़ोतरी एक बार कर दी गई है, जिसमे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है–

> 54. As far as the conventional heads are concerned, we find it difficult to agree with the view consortium and Rs. 1,00,000/– towards loss of care and guidance for minor children. The head relating to loss of care and minor children does not exist. Though Rajesh refers to Santosh Devi, it does not seem to follow the same. The conventional and traditional heads, needless to say, cannot be determined on percentage basis because that would not be an acceptable criterion. Unlike determination of income, the said heads have to be quantified. Any quantification must have a reasonable foundation. There can be no dispute over the fact that price index, fall in bank interest, escalation of rates in many a field have to be noticed. The court cannot remain oblivious to the same. There has been a thumb rule in this aspect. Otherwise, there will be extreme difficulty in determination of the same and unless the thumb rule is applied, there will be immense variation lacking any kind of consistency as a consequence of which, the orders passed by the tribunals and courts are likely to be unguided. Therefore, we think it seemly to fix reasonable sums. It seems to us that reasonable figures on conventional heads, namely, loss of estate, loss of consortium and funeral expenses should be Rs. 15,000/–, Rs. 40,000/– and Rs. 15,000/– respectively. The principle of revisiting the said heads is an acceptable principle. But the revisit should not be fact–centric or quantum–centric. We think that it would be condign that the amount that we have quantified should be enhanced on percentage basis in every three years and the enhancement should be at the rate of 10% in a span of three years. We are disposed to hold so because that will bring in consistency in respect of those heads.

(ii) दाह संस्कार (Funeral Expenses) रुपये

45. मृतक के अंतिम संस्कार, क्रियाकर्म व पश्चात्वर्ती अन्य धार्मिक रीति रिवाज पर हुये व्यय हेतु प्रतिकर **16,500/–** रुपये।

(iii) **सम्पति की हानि हेतु (Loss of estate)** क्लेम याचिका के प्रार्थी को **16,500/-** ये।

46. इस प्रकार मृतक गेनपुरी की मृत्यु पर प्रार्थी को देय कुल प्रतिकर राशि निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है।

क्र. सं.	**किस मद में क्षतिपूर्ति दिलायी गयी**	**क्षतिपूर्ति राशि रुपये में**
1.	आय की क्षति के लिये	**18,52,704**
2.	प्यार,स्नेह एवं वंचना से वंचित होने पर 44,000X2 = 88,000	88,000
3.	दाह संस्कार	16,500
4.	सम्पत्ति की हानि	16,500
	कुल	**19,73,704/-**

-:अनुतोषः-

47. अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के अनुरूप विवाद्यक संख्या 1 व 2 प्रार्थीगण के पक्ष में व अप्रार्थीगण के विरूद्ध व विवाद्यक संख्या 3 प्रार्थीगण के पक्ष में आंशिक रूप से निर्णीत किये गये हैं। वक्त दुघर्टना अप्रार्थी सं. 1 प्रश्नगत वाहन का चालक एवं अप्रार्थी संख्या 2 स्वामी होना एवं अप्रार्थी सं. 3 के प्रश्नगत वाहन का बीमाकर्ता होने का विवाद्यक तथ्य साबित होना पाया गया है। अतः प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 3 से संयुक्ततः व पृथकतः कुल प्रतिकर राशि **19,73,704/- रूपये मात्र** क्लेम याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक 08.07.2020 से ताअदायगी 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित प्राप्त करने के हकदार है।

पंचाट

48. अतः प्रार्थीगण की क्लेम याचिका विरूद्ध अप्रार्थीगण सं. 1 ता 2 आंशिक रूप से स्वीकार कर अंतिम पंचाट इस प्रकार से पारित किया जाता है कि प्रार्थीगण रामेश्वरी देवी वगैरह **अप्रार्थी सं. 3** से संयुक्तः व पृथकतः राशि **19,73,704/- रूपये मात्र** क्लेम याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक 08.07.2020 से ताअदायगी 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित प्राप्त करने का अधिकारी हैं।

49. प्रार्थीगण ने पूर्व में यदि धारा 140 मोटरवाहन अधिनियम के तहत कोई प्रतिकर राशि प्राप्त कर ली हो, तो वह राशि उपरोक्त अंतिम पंचाट की राशि में समायोजित होगी।

50. अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कम्पनी आगामी तीस दिवस की अवधि में ब्याज एवं अवार्ड की राशि अधिकरण के बैंक खाता संख्या 3545000102687050 पंजाब नेशनल बैंक, डीडवाना शाखा नागौरी गेट, डीडवाना IFSC NO. PUNB0354500 में जरिए NEFT/ RTGS मोड से जमा करावे तथा इसकी सूचना इस अधिकरण को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित ए सी टी सी 2019 (1) पेज 111 में दिए गए फॉर्मेट में प्रस्तुत करें।

51. याचिका में अवार्ड व ब्याज राशि का भुगतान इस अधिकरण को प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रार्थीगण को अवार्ड राशि निम्नानुसार प्रदान की जावे-

क्र.सं.	प्रार्थी का नाम	आयु	मृतक से संबंध	बचत खाता में देय नकद राशि	मियादी जमा खाता में देय राशि	मियादी जमा खाता में जमा राशि अवधि
1.	रामेश्वरी देवी	61 साल	पत्नी	6,73,704 मय ब्याज	5,00,000	02 वर्ष के लिए
2.	नरपत गोस्वामी	38 साल	पुत्र	5,00,000	3,00,000	02 वर्ष के लिए

52. प्रार्थीगण उक्त एफडी पर बिना न्यायालय की अनुमति के ऋण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होंगे एवं ना ही समय पूर्व भुगतान प्राप्त करने के अधिकारी होंगे ।

53. अवार्ड की एक प्रति अप्रार्थी सं. 3 बीमा कम्पनी को पालना हेतु निःशुल्क दी जावे।

(मनोरमा मीणा)
न्यायाधीश
मोटरवाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, डीडवाना
(अपर जिला न्यायाधीश, डीडवाना)

54. आदेश आज दिनांक **23.07.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोरमा मीणा)
न्यायाधीश
मोटरवाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, डीडवाना
(अपर जिला न्यायाधीश, डीडवाना)